कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर क्रमांक/एफ-2/आयोजना/07 2/669-70 / दिनांक:-2)-12-15

जनरल मैनेजर एन.बी.सी.सी. लि0 भारत सरकार एन्टरप्राईजेज, एन.बी.सी. भवन लोधी रोड, नई दिल्ली

सूर्य नगर आवासीय ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड की 30 मीटर से ऊपरी मंजिलो की भवन निर्माण स्वीकृति के क्रम मे।

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2014

आप द्वारा दिनांक 07.03.2014 को न्यास कार्यालय मे आवासीय ग्रप हाऊसिंग भूखण्ड सूर्य नगर, अलवर जिसका क्षेत्रफल 6094.00 वर्गमीटर है। 30 मीटर तक ऊँचाई की भवन निर्माण स्वीकृति की बैठक दिनांक 27.12.2012 के निर्णयानुसार न्यास के पत्र क्रमांक एफ-2/आयोजना/386/2013 दिनांक 22.01.2013 को जारी की गई। 30 मीटर से अधिक ऊँचाई की भवनों की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया गया जिस पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(2031)नविवि/3/2013 दिनांक 04.10.2013 को प्रदान की गई, जिसके क्रम में अधिक एफ ए.आर. की राशि 1,54,30,354 / - रुपये जर्ये रसीद संख्या 2021 / 25 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा न्यास कोष में जमा कराये जा चुक है। प्रकरण 30 मीटर से ऊँपरी मंजिलो की स्वीकृति के क्रम में भवन निर्माण स्वीकृति की बैठक दिनांक 17.07.2014 में विचारार्थ रखा गया, जिसके निर्णयानुसार निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है: -

- न्यास की भवन निर्माण स्वीकृत समिति की बैठक दिनांक 27.12.2012 के निर्णयानुसार 01. पूर्व में जारी भवन निर्माण स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ-2/आयोजना/386/2013 दिनांक 22.01.2013 के अनुमति पत्र में वर्णित सभी शर्तों का पालन करनी होगी।
- 30 भीटर से ऊपरी मंजिलों की भवन निर्माण स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती 02. है कि ऊपरी मंजिलों का निर्माण तो किया जा सकेगा, परन्तु फायर सुरक्षा सम्बन्धी पुख्ता (स्थायी) प्रमाण पत्र न्यास में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उनका विक्रय किया जावेगा। जिसके क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेंकिंग दिनांक 05.10.2014 में वर्णित शर्तों की पालना करनी होगी।
- प्रत्येक मंजिल की समय-समय पर ब्लाक टेरिंटग रिपोर्ट करवानी होगी तथा प्रति न्यास 03. को भी प्रस्तुत करनी होगी।




- 04. निर्माण स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार ही करना होगा।
- 05. नियमानुसार पर्यावरण / प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
- 06. अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व स्ट्रेक्चर इन्जिनियर से स्ट्रेक्चर डिजायन, ब्लाक टेंस्टिंग की रिपोर्ट न्यास में प्रस्तुत करनी होगी।
- 07. यदि अनुमित पत्र में दिये गये व नक्शो में बताये गये निर्माण कार्य के विरुद्ध कोई निर्माण किया गया तो राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट 1959 की धारा 91(ए) के अन्तर्गत उसे हटाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, अलवर अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, अलवर सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

प्रतिलिपि : – अधिशाषी अभियन्ता, न्यास, अलवर।





क्षेत्रं एन.बी.सी.सी. लिंठ त्यं भी एच.के.धवन त्वरंत भेनेजए एन.बी.सी.सी. लिंठ भारत सरकार एन्टरप्राईजेज, एन.बी.सी.सी. भयन त्रोधी रोड, नई दिल्ली

विषय:- सूर्य नगर आवासीय(गुप हाकसिंग)भूखण्ड पर भवन निर्माण स्वीकृति

आप द्वारा दिनांक 10.10.12 को न्यास कार्यालय मे सूर्य नगर स्थित आवासीय ग्रुप हाऊसिगं भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 6094 वर्गमीटर है, के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये है। प्रस्तुत मानचित्रो पर भवन निर्माण स्वीकृति की बैठक दिनांक 27.12.12 के निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तो के अनुसार प्रदान की जाती है: —

- श. पिलिन्थ लेवल तक निर्माण होने की सूचना वास्तुविद द्वारा दी जावेगी तथा जी+1 का निर्माण स्वीकृति के अनुसार सत्यापन होने के पश्चात् अन्य मंजिलो हेतु स्वीकृति प्रदान का आकंलन किया जायेगा।
- ग्रस्तुत मानचित्र 30 मीटर से अधिक की ऊँचाई के प्रस्तुत किये गये है। प्रथम चरण में आपको 30 मीटर ऊँचाई तक के मानचित्र स्वीकृत किये जाते है। शेष ऊँचाई के मानचित्र पर राज्य सरकार की स्वीकृतिं प्राप्त होने के पश्चात स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।
- 03. खीकृत मानचित्रों के अनुसार ही िर्माण करना होगा।
- अ. राज्य सरकार व न्यास द्वारा समय समय पर प्रस्तावित नियमो का पालना करना होगा।
- ^(६) मानिवत्रो में दर्शाये अनुसार पार्किः का प्रावधान करना होगा।
- क फायर फाईटिंग का प्रावधान भारतीय मानक मापदण्ड नियमानुसार करेगें।

June -

वाटर हावेरिटम का निर्माण करना होगा।

भवन अनुज्ञा शुल्क च अन्य कोई शुल्क वेय हो तो जगा कराना होगा।

भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

नियमानुसार आवासीय पलेटस के भूखण्डो पर 15 प्रतिशत भूमि पर लेण्ड स्केपिंग करनी होगी।

शपथ पत्र दिनांक 25.10.2012 के अनुसार ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. मकानों का

भवन विनियम 2011 की सभी शर्ते मान्य होगी।

यह स्वीकृति जारी होने की तिथी से पाँच वर्ष तक मान्य होगी।

यदि अनुमित पत्र में दिये गये व नक्शो में बताये गये निर्माण कार्य के विरुद्ध कोई निर्माण किया गया तो राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट 1959 की धारा 91(ए) के अन्तर्गत उसे हटाने व अन्य विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। इस निर्माण स्वीकृ ति को स्वामित्व का सबूत नहीं माना जावेगा।

नोट: नआपको यह चाहिए कि अपनी जमीन की मिल्कियत व अन्य हकों को ठीक प्रकार से समझ ले। अगर इस अनुमित से किसी भी तरह से न्यास के हकों का अतिक्रमण होता है तो यह अनुमित उस हद तक रद्द समझी जावेगी।

द्भाव।। इसक् नगर नियोजक ऋषिणस न्यास, अलवर

अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, अलवर निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना एवं सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

